



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271785
CG-DL-E-13042026-271785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]
No. 4]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.नि.आ. 4(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्निशमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' (अग्निशमन सेवा) पद भर्ती नियम 2011 की अनुसूची में, फायरमैन पद के सामने—
(1) स्तंभ (1) में, "फायरमैन" प्रविष्टि के स्थान पर "फायरफाइटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;
(2) स्तंभ (7) में, पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

(2) शारीरिक रूप से स्वस्थ और श्रमसाध्य कर्तव्यों के पालन में सक्षम होना चाहिए और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण करना चाहिए:-

(क) शारीरिक मापदंड

	पुरुष	महिला
ऊंचाई बिना जूतों के	न्यूनतम 165 सेंटीमीटर	न्यूनतम 157 सेंटीमीटर
सीना (बिना फुलाए)	न्यूनतम 81 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
सीना फुलाने पर	न्यूनतम 05 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
भार	न्यूनतम 50 किलोग्राम	न्यूनतम 45 किलोग्राम

- (i) कोई शारीरिक विकृति तथा टेढ़े पैर, अंतर्वक्र जानु और सपाट पैर नहीं हो; और
- (ii) पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और/या सीने की माप में अधिकतम 2.5 सेंटीमीटर की छूट अनुज्ञात की जा सकती है।

(ख) चिकित्सा मानदंड

दृष्टि

- (i) बिना किसी सहायक उपकरण के दूर की दृष्टि 6×6।
- (ii) 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सुधार सहित निकट दृष्टि सामान्य।
- (iii) प्रत्येक आँख में पूर्ण दृश्य क्षेत्र।
- (iv) रतौंधी और वर्णांधता न हो।

(ग) शारीरिक क्षमता परीक्षा

पुरुष अभ्यर्थी

- (i) 07 मिनट में 1600 मीटर की दौड़
- (ii) 63.5 किलोग्राम भार को 183 मीटर की दूरी तक 96 सेकंड के भीतर ले जाना।
- (iii) ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 3 मीटर ऊँची चढ़ाई (जमीन से 3 मीटर ऊपर)।
- (iv) 20 सिट-अप्स।
- (v) 2.7 मीटर चौड़ी खाई को कूद कर पार करना और दोनों पैरों पर खड़े होना (लंबी कूद) (दिए गए 3 अवसरों में से किसी एक में सफल हो)।

महिला अभ्यर्थी

- (i) 05 मिनट में 800 मीटर की दौड़
- (ii) 63.5 किलोग्राम भार को 183 मीटर की दूरी तक 96 सेकंड के भीतर ले जाना।
- (iii) ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 2.5 मीटर ऊँची चढ़ाई (जमीन से 2.5 मीटर ऊपर)।
- (iv) 15 सिट-अप्स; या
2.0 मीटर लंबी कूद (दिए गए 3 अवसरों में से किसी एक में सफल हो)।

(घ) "40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन मानदंडों में 10% की छूट होगी।"

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/भर्तीनियम/सी/पी/02/डी1278 तारीख 13 अप्रैल, 2026]

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 68, तारीख 28 अक्तूबर 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ 35 तारीख 21 अप्रैल 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे और का.नि.आ 85 तारीख 11 अक्तूबर 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

S.R.O. 4(E)— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011, namely:-

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011, in the Schedule, against the post of Fireman,

- in column (1), for the entry "Fireman" the entry "Firefighter" shall be substituted;
- in column (7), for paragraph (2), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and passed the tests specified

as under:-

(A) Physical Measurement:

	Male	Female
Height without shoes	165 centimeter minimum	157 centimeter minimum
Chest(un-expanded)	81 centimeter minimum	Not Applicable
Chest expansion min	05 centimeter minimum	Not Applicable
Weight	50 Kilogram minimum	45 Kilogram minimum

- no physical deformity and bow legs, knock knee and flat foot; and
- a maximum relaxation of 2.5 centimeter in height and/or in chest may be allowed for candidates belonging to hilly areas.

(B) Medical Standards:

Vision

- distant 6x6 without aids;
- near vision normal but with corrections for person above 40 years of age;
- each eye must have full field of vision; and

- (iv) no night and colour blindness.

(C) Physical Endurance Test:

Male candidates

- (i) running a distance of 1600 meter in 07 minutes time;
(ii) carrying a weight of 63.5 Kilogram to a distance of 183 meter within 96 seconds;
(iii) 03 meter vertical rope climbing (03 meter foot above ground);
(iv) 20 sit ups; and
(v) clearing 2.7 meter wide ditch and landing on both feet (long jump) (to achieve in any one of the 03 chance given).

Female Candidates

- (i) running a distance of 800 meter in 05 minutes time;
(ii) carrying a weight of 63.5 Kilogram to a distance of 183 meter within 96 seconds;
(iii) 2.5 meter vertical rope climbing (2.5 meter foot above ground); and
(iv) 15 sit ups;
or
long jump of 2.0 meter (to achieve in any one of the 03 chance given).

- (D) “There shall be 10 % relaxation in the performance standards for the candidates having age more than 40 years.”.

[F. No. DHRD/87661/RRs/C/P/02/D1278 dated, 13 April, 2026]

Dr. ISHITA GANGULI TRIPATHY, Jt. Secy.

Note:- The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4, vide S.R.O.68, dated the 28th October, 2011, and subsequently amended vide notification number S.R.O. 35 dated the 21st April, 2017 and last amended vide S.R.O 85 dated 11th October, 2017.